संख्या– 21 /XXVIII-5-2018-48/2017

प्रेषक,

गरिमा रौंकली,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग–5 देहरादून : दिनांक 29 जनवरी, 2018

विषय–सीतापुर नेत्र चिकित्सालय,कोटद्वार के श्रेणी–2 एवं श्रेणी–4 के जीर्ण–शीर्ण कुल 02 आवासों के पुनर्निर्माण हेतु वित्तीय स्वाकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त आपके पत्र संख्या–7प/1/16/2017/27579, दिनांक 13.10.2017 के क्रम में सीतापुर नेत्र चिकित्सालय,कोटद्वार के श्रेणी–2 एवं श्रेणी–4 के जीर्ण–शीर्ण कुल 02 आवासों के पुनर्निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग,निर्माण खण्ड,दुगड्डा, पौडी–गढवाल द्वारा विभागीय तकनीकी समिति से परीक्षित आगणित/अनुमोदित लागत **₹64.62 लाख (रूपये चौसठ लाख बहसठ हजार मात्र)** के सापेक्ष इतनी ही धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन स्वीकृत करते हुये व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

1. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उच्च अधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकता अनुसार) से कार्यस्थल का भली–भाँति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात् दिये गये निर्देशों के अनुरुप ही कार्य किया जाय।
2. निर्माण कार्य की समय–समय पर समीक्षा की जाय तथा निर्माण कार्यों की लागत एवं समय में वृद्धि किसी भी दशा में न होने पाये, यह सुनिश्चित किया जाय।
3. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय। कार्य की गुणवत्ता परीक्षण हेतु थर्ड पार्टी चैकिंग व्यवस्था नियोजन विभाग के माध्यम से सुनिश्चित की जायेगी, जिसके सापेक्ष आने वाला व्यय– भार कार्यदायी संस्था को देय सैन्टेज चार्जेज से ही वहन किया जायेगा।
4. मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या–2047/XIV–21(2006), दिनांक 30.05.2006, द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य करते समय अथवा आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
5. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

6. वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–475/XXVII(7)/2008, दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 अवश्यक हस्ताक्षरित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
7. उक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय आय–व्ययक वर्ष 2017–2018 की अनुदान संख्या–12 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, आयोजनागत–00, 01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएं, 110–अस्पताल तथा औषधालय, 14–आवासीय भवनों की व्यवस्था 24–वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या–142(प0)/XXVII(3)/2017-18, दिनांक 23 जनवरी, 2018 में प्राप्त सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

अलाटमेन्ट आई0डी0–S1801120393

भवदीय

(गरिमा रौंकली)
संयुक्त सचिव

<u>प0सं0– 2\ (1)/XXVIII-5-2018-48/2017, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबरॉय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मण्डलायुक्त, गढ़वाल
4. जिलाधिकारी, पौड़ी गढवाल।
5. मुख्य चिकित्साधिकारी, पौड़ी गढवाल।
6. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून/पौड़ी गढवाल
7. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड,ला0नि0वि0,दुगड्डा,पौड़ी गढवाल।
8. बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–3/अनुभाग–5/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(गरिमा रौंकली)
संयुक्त सचिव